# न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

प्रकरण क्र– 56 अ/19(3) वर्ष 2018–19
मौजा– खरखरी, भरदी, बम्होरी, घाना
प.ह.नं. 02,. 01, 06, 37
तहसील केसली जिला सागर (म.प्र.)

प्रबंध संचालक,
म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम
भोपाल (म.प्र.)

................... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन

................... अनावेदक

**!! आदेश !!**

**(पारित दिनांक 2 /3/2019)**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुख्य महा प्रबंधक, म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल (म.प्र.) द्वारा तहसील केसली को प्रेषित पत्र क्रमांक–औ.के.वि.नि. भोपाल/भू–अर्जन/2016/7419 दिनांक 09.10.18 में औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन स्थित संरक्षित एवं आरक्षित वन भूमि के निर्वणीकरण प्रस्ताव में तहसील केसली जिला सागर के ग्राम खरखरी, भरदी, बम्होरी, एवं घाना की भूमि बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार केसली का प्रकरण क्रमांक–43 बी/121 वर्ष 18–19 ग्राम खरखरी, भरदी, बम्होरी, एवं घाना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त प्रस्ताव पर प्रकरण दर्ज किया गया। ग्रामों में इश्तहार जारी आपत्तियां आमंत्रित की गई। राजस्व विभाग/वन विभाग/म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम से संयुक्त स्थल निरीक्षण कराया गया एवं संबंधित ग्राम पंचायत को पत्र भेजकर उनका अभिमत मंगाया गया एवं पटवारी प्रतिवेदन लिया गया।

तहसीलदार केसली द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 02.01.19 में प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम में इश्तहार के जारी होने उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। म.प्र.औद्योगिक विकास निगम भोपाल के प्राधिकृत अधिकारी की ओर से प्रकरण में उक्त आवेदित भूमि को वनीकरण हेतु एम.पी.ट्राईफेक को भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में न्यायालय कलेक्टर सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक–14 अ/19(3) वर्ष 16–17 में पारित आदेश दिनांक 03.05.17 की प्रति एवं म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक–एफ 5–2/2019/10–3 भोपाल दिनांक 26.05.16 की छायाप्रति व अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति पेश की गई जो कि संलग्न प्रकरण की गई। आवेदित भूमि संबंधी खसरा व नक्शा प्रति प्रकरण में संलग्न है। ग्राम पंचायतों से अभिमत मंगाये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा न तो अभिमत दिया गया ओर न हीं आपत्ति पेश की गई। संयुक्त स्थल जांच का पंचनामा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। पंचनामा अनुसार आवेदित भूमि अतिक्रमण से मुक्त है। आवेदित भूमि में छोटे व बडे झाड की भूमि सम्मिलित नहीं है। भूमि का वैधानिक स्वरूप खसरा पी.2 के अनुसार शासकीय दर्ज है। अतः राजस्व प्रकरण क्रमांक–14 अ/19 (3) वर्ष 16–17 में पारित आदेश दिनांक 03.05.17 के आधार पर ग्राम खरखरी की भूमि ख.नं. 1 रकवा 16.50 हे., ग्राम भरदी की भूमि ख.नं. 61, 79, 82, 85, 88 रकवा 90.62 हे., ग्राम बम्होरी की भूमि ख.नं. 312/1 रकवा 62.00 हे., एवं ग्राम घाना की भूमि ख.नं. 411 रकवा 45.00 हे. जो कि म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को आवंटित की गई है को वन मंडल दक्षिण वन मंडल सागर को हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के माध्यम से प्रेषित है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी द्वारा तहसीलदार केसली के प्रतिवेदन दिनांक 02.01.19 से सहमत होकर वन विभाग को हस्तांतरित किय जाने की अनुशंसा की है।

P.T.O.

सागर

अतः तहसीलदार केसली/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) देवरी के प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होकर मौजा ग्राम खरखरी, भरदी, बम्होरी, एवं घाना तहसील केसली जिला सागर में स्थित निम्नानुसार भूमि :-

| स. क्र. | ग्राम का नाम | पटवारी हल्का नं. | ख0नं0 | कुल रकवा (हे.में) | आरक्षित रकवा (हे.में) | मद | भूमि आरक्षित किये जाने का प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | खरखरी | 02 | 1/4 | 16.50 | 16.50 | म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दर्ज है। | म.प्र.शासन वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु। |
| 02 | भरदी | 01 | 61,79, 82,85, 88/3 | 90.62 | 90.62 | | |
| 03 | बम्होरी | 06 | 312/9 | 62.00 | 62.00 | | |
| 04 | घाना | 37 | 411/3 | 45.00 | 45.00 | | |
| | कुल योग- | | | 214.12 | 214.12 | | |

को म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए म.प्र.शासन वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु म.प्र.शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक-एफ 6-7/2013/सात /2 बी भोपाल दिनांक 13 फरवरी 2013 में दिये गये प्रावधान अनुसार म.प्र.शासन वन विभाग को आरक्षित की जाती है।

उक्त भूमि के आरक्षित से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आरक्षित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर
जिला-सागर

पृ0क0/1386/री0कले0/2019 सागर दिनांक02/03/2019

**प्रतिलिपिः-**

1- सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
2- सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल (म.प्र.)
4- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन उद्योग निती एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)
5- प्रबंध संचालक, एम.पी.ट्राइफेक, भोपाल (म.प्र.)
6- प्रबंध संचालक, म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल
7- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल
8- मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर मध्यप्रदेश
9- अनुविभागीय अधिकारी देवरी, जिला सागर को मूल प्रकरण सहित पटवारी अभिलेख दुरूस्ती कराये जाने हेतु एवं संबंधित विभाग को भूमि का अधिपत्य दिलाये जाने का पंचनामा एवं संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रकरण इस न्यायालय को भेजें।
10- वन मण्डल अधिकारी (सा.) वन मण्डल उत्तर/दक्षिण सागर, (म.प्र.)
11- तहसीलदार केसली, जिला सागर को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला-सागर

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
फार्म पी -II
खसरा

सी. एल. आर. न. :11100801000020003000089

| ग्राम:खरखरी | | हल्का :02 भोहासा | | रा.नि.म. :01 केसली | | तहसील :केसली | | जिला :सागर | | वर्ष: 2018-2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन) | कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान | किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल | खाते की भूमि | | | | | | खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल | कैफियत |
| | | | | क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई | | | पड़ती का क्षेत्रफल | | | | |
| | | | | फसल का नाम | क्षेत्रफल | दुफसली क्षेत्रफल | चालू वर्ष की पड़ती | 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती | अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4 | 16.5000 | (शासकीय) | | | | | | | | 16.5000 | (श्रीमान कले.महो.सागर के रा.प्र.क्र 19अ/19(3) वर्ष 2016-17 आदेश दिनांक . 03-05-2017 के अनुसारवैकल्पिक वृक्षारोपड हेतु म.प्र. औद्योगिकी केन्द्र विकास निगम भोपाल को आबंटित)<br>म.प्र. शासन वन विभाग को वृक्षारोपण वनीकरण हेतु आरक्षित,न्यायलय श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 56 / अ- 19 3 वर्ष 2018-19 के आदेश दिनांक 02/03/2019 के अनु |

सूचना केन्द्र ... 03 MAY 2019

सत्यप्रतिलिपि
तहसीलदार
केसली जि. सागर



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 01
Date: 2019.05.03 15:56:34 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 11100801000020003000089